


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या- 489 एवं 490/2010जिला.....बीकानेर.....

उनवान- वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर बनाम मैसर्स श्री अन्नपूर्णा इण्डस्ट्रीज, बीकानेर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हु
10.04.2018	<p style="text-align: center;"><u>संशोधन आदेश</u></p> <p>उक्त उनवानी प्रकरण अपील संख्या 489 एवं 490/2010/ बीकानेर का निर्णय दिनांक 13.03.2018 को पारित किया गया था।</p> <p>उक्त प्रकरणों के निर्णय के पैरा संख्या 9 की पक्ति संख्या 7 में लिपिकीय त्रुटि/भूलवश निर्णय शास्ति के बिन्दु पर <u>अस्वीकार</u> करने की जगह <u>स्वीकार</u> टंकित हो गया था। अतः इसे स्वतः संशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जावे -</p> <p style="text-align: center;">“अतः शास्ति के बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जाती है।”</p> <p>उक्त प्रकरणों के निर्णय के पैरा संख्या 10 की पक्ति संख्या 2 में लिपिकीय त्रुटि/भूलवश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की <u>आंशिक पुष्टि</u> की जगह <u>पुष्टि</u> टंकित हो गई थी। अतः इसे स्वतः संशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जावे -</p> <p style="text-align: center;">“उपरोक्तानुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की आंशिक पुष्टि करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।”</p> <p style="text-align: center;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p>	